UPGK010049532026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 2163/2026,

रफीक पुत्र लड्डन उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम- बंजरिया, थाना- बखिरा, जनपद- सन्तकबीर नगर।

आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 272/2025,

धारा- 317(2), 305, 331 (4), भारतीय न्याय संहिता,

थाना- खजनी, जनपद- गोरखपुर।

08.06.2026

आदेश

अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदक/अभियुक्त रफीक, जो अपराध संख्या- 272/2025, धारा- 317(2), 305, 331 (4) भारतीय न्याय संहिता, थाना- खजनी, जनपद- गोरखपुर के प्रकरण में वांछित अभियुक्त है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रथम सूचनाकर्ता विजय यादव के घर में रात्रि 12:00 बजे के लगभग रोशनदान तोड़कर अन्दर घुसकर उसकी आलमारी तोड़कर उसमे रखे पांच हजार रूपये नकद, सोने व चॉदी के जेवर गायब कर दिया। सुबह पांच बजे जब प्रथम सूचनाकर्ता की नीद टुटी, तो उसने देखा कि आलमारी खुली थी तथा सारा सामान चोरी हो गयी।

दौरान विवेचना दिनांक 10.09.2025 को सह-अभियुक्तगण सोनू, इरफान, चॉद अली उर्फ तौफिक, अफरोज, भीम व परवेज को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, तो आवेदक/अभियुक्त की प्रस्तुत प्रकरण में संलिप्तता प्रकाश में आयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है, उसे पूर्णतया गलत ढंग से प्रस्तुत मामले में फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत मामले में नामित अभियुक्त नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के पास से कथित चोरी का कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। आवेदक/अभियुक्त की प्रस्तुत मामले में संलिप्तता अत्यंत ही विलम्ब से की गई है। आवेदक/अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त कथित चोरी के अपराध में संलिप्त था। कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की सक्रिय भूमिका रही है। तद्नुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

मैंने अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना एवम् समस्त अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात है कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। मामले के विचारण की अवधि में आवेदक/अभियुक्त को पलायन किये जाने, साक्ष्य से छेड़छाड़ करने या साक्षीगण को डराये धमकाये जाने की कोई आशंका अभियोजन पक्ष द्वारा व्यक्त नहीं की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में सह-अभियुक्तगण इरफान, तौफिक उर्फ चांद अली, गौरी शंकर वर्मा, सोनू, आदित्य वर्मा व मुकेश उर्फ खुड़बुड़ का जमानत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है।

अतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किए बिना, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आवेदक/अभियुक्त रफीक का उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को प्रकरण में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन 25,000- रूपये के स्वबन्धपत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवम् निम्न आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किया जाए :-

1- आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार विवेचना/ न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगा, तथा आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने तक सप्ताह में एक दिन विवेचक/सम्बन्धित थाने में उपस्थित होकर विवेचना में सहयोग करेगा।

2- आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

3- यदि आवेदक/अभियुक्त के पास पासपोर्ट है, तो वह उसे सम्बन्धित न्यायालय में जमा करायेगा।

4- आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों/आरोप विरचित किए जाने, विचारण व निर्णय आदि की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।

5- आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बन्धपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा।

6- आवेदक/अभियुक्त उस अपराध, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेंगा।

7- आवेदक/अभियुक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति का न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मानने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

दिनांक/गोरखपुर
08 जून, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.06.08 15:24:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court